<u>नियम एवं शर्तें</u>:

बड़ौदा रिलोडेबल प्रीपेड कार्ड (कार्ड) बैंक ऑफ़ बड़ौदा "बैंक" या "हम" – (विषयवस्तु पर आधारित) द्वारा जारी किया गया है. इन नियमों और शर्तों में "आप" या "आपके" कार्ड खरीददार या कार्ड धारक को संदर्भित करते हैं. इस कार्ड हेतु प्रीपेड प्लेटफॉर्म, प्रोसेसर और सेटलमेंट सेवाएं एनस्टेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ("एनस्टेज") उपलब्ध करवा रहा है.

सामान्य : कार्ड खरीदने, प्रयोग करने या प्रयोग के प्रयास करने या संव्यवहार पूछताछ करने या कार्ड में लोड किए गए मूल्य को रिडीम करने के किसी अधिकार का प्रयोग करने से आप इन नियमों एवं शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं. बैंक नियमों एवं शर्तों एवं किसी भी समय प्रभारों के विवरण को परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. सबसे नवीनतम संस्करण हमेशा बैंक की वेबसाइट पर www.bankofbaroda.com->प्रीपेड कार्ड->रिलोडेबल कार्ड के अंतर्गत उपलब्ध होगा. कार्ड के प्रयोक्ता को सूचित किया जाता है कि कार्ड का प्रयोग करने से पहले उसके पीछे की तरफ दिए गए उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर करें. यह कार्ड भारत में घरेलू प्रयोग के लिए है. यह कार्ड न तो क्रेडिट कार्ड है और न ही बैंक के जमाराशि खाते से लिंक है. यह कार्ड बैंक की संपत्ति है अत: बैंक अपने एक विवेकाधिकार से, किसी भी समय, आपको सूचित किए बिना, कार्ड को प्रयोग करने की सुविधा और/या उससे संबंधित सेवाओं को हटाने, अप्रचलित करने, रद्द करने, निरस्त/या समाप्त करने का अधिकार रखता है और ऐसे निरस्तीकरण या समापन से आपको होने वाली किसी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

जिम्मेदारियां:यह कार्ड गैर वैयक्तिक वीजा प्रीपेड कार्ड है जो सक्रियकरण के बाद, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और एटीएम, जहां वीजा प्रीपेड कार्ड स्वीकार किए जाते हैं, में प्रयोग हेतु इस्तेमाल किए जा सकते हैं. कार्ड में उपलब्ध शेष से अधिक के संव्यवहारों के लिए कार्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे संव्यवहारों के लिए यदि मर्चंट सहमत है तो अंतर राशि का भुगतान अन्य पद्धति से किया जा सकता है. इस कार्ड का प्रयोग करके किए गए किसी भी संव्यवहार के लिए आप जिम्मेदार होंगे और यदि आप संव्यवहार राशि में कोई विसंगति पाते हैं तो कृपया बैंक को लिखित में इसकी तत्काल सूचना दें.सभी उद्देश्यों के लिए आप बैंक ऑफ़ बड़ौदा (या वीजा के) के संव्यवहारों का रिकॉर्ड/लेखा परीक्षा विवरणी को अंतिम एवं बाध्यता के रूप में स्वीकार करेंगे. बैंक कार्डधारक द्वारा किए गए धोखाधड़ी रहित एवं शून्य देयता दावों पर विचार नहीं करेगा.

कार्ड या पिन से किसी भी प्रकार का समझौता करने से आपको हुई किसी भी हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.कार्ड एवं पिन को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु आप जिम्मेदार होंगे तथा स्वयं को बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकार का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति सहित किसी से भी इसे साझा/हैंड ओवर न करें.

एटीएम प्रयोग: इस कार्ड का प्रयोग नकदी आहरण और शेष पूछताछ के लिए किसी भी एटीएम पर किया जा सकता है. कार्डधारक बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित एटीएम प्रयोग संबंधी शुल्क का वहन करने के लिए सहमत है. बैंक मूल्यवर्धित सेवाओं के रूप में बैंक के एटीएम में कुछ निश्चित संव्यवहारों की संख्या नि:शुल्क उपलब्ध करवा सकता है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के एटीएम शुल्क नीतियों/सेवाओं में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, हालांकि बैंक कार्डधारकों को सूचित करने के प्रयास करेगा.

रिलोड : समापन तारीख के पहले यह कार्ड प्राधिकृत व्यक्ति (यों) एवं रिलोड के लिए निर्धारित खाते (तों) से एक से अधिक बार रिलोड किया जा सकता है. यह कार्ड रु. 50000 तक रिलोड किया जा सकता है (कार्ड का शेष किसी भी समय रु. 50000 से अधिक नहीं होना चाहिए)

एटीएम पिन : बैंक इस कार्ड को 4 डिजिट पिन (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर) आबंटित करेगा जो एटीएम तथा लॉगिन आईडी (कार्ड संख्या) और पासवर्ड (पिन) का प्रयोग कर इंटरनेट पोर्टल पर कार्डधारक को संव्यवहार करने, कार्ड में उपलब्ध शेष जानने एवं लघु विवरणी निकालने के लिए आवश्यक है. कार्डधारक द्वारा पोर्टल पर पिन परिवर्तित किया जा सकता है. बैंक के एटीएम पर भी पिन परिवर्तित किया जा सकता है.

कार्ड वैधता : कार्ड की वैधता अवधि,कार्ड पर उल्लिखित अवधि या समापन की अवधि से 36 महीने, जो भी पहले हो, होगी. समापन के पहले निधियों के पूर्ण प्रयोग के लिए आप जिम्मेदार होंगे.

कार्ड की वैधता समाप्ति के बाद : कार्ड की वैधता समाप्ति के बाद, बकाया शेष नए कार्ड में अंतरित कर दिया जाएगा या अनुरोध पर उसके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा.

प्रोफाइल अपडेट : कार्ड जारी करने के समय या बाद में कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके सही संपर्क विवरण (पता, ई मेल आईडी एवं मोबाइल) अद्यतन करवाया जा सकता हैं. कार्डधारकों के विवरण सत्यापित करने के बाद ही ग्राहक प्रोफाइल अद्यतन किया जाता है. बैंक कार्ड के प्रयोग और समापन के संबंध में एसएमएस/ई मेल सूचना प्रेषित करता है; यदि गलत/पुराने संपर्क विवरण के कारण कार्डधारक के पास सूचना नहीं पहुंचती तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.

कार्ड गुम होना : कार्ड के गुम होने/चोरी होने के मामले में, कार्ड को ब्लॉक करने के लिए कार्ड धारक को तत्काल बैंक को लिखित में या टोल फ्री नंबर (नीचे उल्लिखित) पर कॉल करके रिपोर्ट करना चाहिए. कार्ड, कार्य दिवस के दौरान कार्य घंटों में सूचना की प्राप्ति होने या 24 घंटे, जो भी ज्यादा है, में रद्द किया जा सकता है. कार्ड के दुरुपयोग द्वारा हुई किसी भी हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. बैंक कार्डधारक से अनुरोध प्राप्त होने पर हॉट लिस्ट (ब्लॉक) किए गए कार्ड के बकाया शेष के साथ कार्ड को पुन: जारी करेगा. इस प्रकार कार्ड पुन: जारी करने के लिए वेबसाइट पर समय-समय पर प्रकाशित प्रभार लगाए जाएंगे.

कस्टमर सपोर्ट :
ई-मेल: bobsupport@cardbranch.comटोल फ्री नंबर: 1800 102 5627 पंजीकृतमोबाइल नंबर से एसएमएस शेष पूछताछ: BAL   BOBGPR <कार्ड के अंतिम 4 अंक> to +919243762535
बैंक की वेबसाइट: www.bankofbaroda.com (संबंधित प्रीपेड/रिलोडेबल कार्ड खंड में उपलब्ध कस्टमर सपोर्ट लिंक का प्रयोग करते हुए)
विधि*:* यहां उपरोक्त उल्लिखित बिंदुओं के अलावा, कार्डधारक, कार्ड के प्रयोग की पूर्व शर्त के रूप में सभी शर्तों को स्वीकार/पुष्टि करता है, कार्डधारक एतद्द्वारा बैंक द्वारा सभी या ऐसे किसी प्रकटीकरण के लिए सहमत है एवं अपनी सहमति देता है:

I. कार्ड/प्रयोक्ता से संबंधित जानकारी एवं डेटा;
II. इस करार के किसी भी नियम से संबंधित जानकारी या डेटा;
III. यहां उल्लिखित बाध्यताओं को पूरा करने में प्रयोक्ता द्वारा कोई चूक होने पर; बैंक द्वारा उचित एवं आवश्यक लगने पर क्रेडिट इनफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक या देश की अन्य किसी विनियामक प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत अन्य एजेंसी को ऐसे डेटा प्रकट एवं उपलब्ध करवा सकता है.

विवाद :नियम एवं शर्तों या कार्ड के प्रयोग से उत्पन्न कोई भी विवाद मुंबई में न्यायालय या न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा.तथापि, इन नियम एवं शर्तों से उत्पन्न किसी कानूनी कार्यवाही के लिए बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी अन्य न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य उचित फोरम में आवेदन कर सकता है.कार्ड का प्रयोग, नियम एवं शर्तें भारत के कानून के अनुरूप संचालित होंगे.

क्षतिपूर्तिकरण : बैंक द्वारा कार्डधारक को कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में, कार्डधारक एतद्द्वारा बैंक और/या उसके कर्मचारियों को सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानि, क्षति, लागतों की क्षतिपूर्ति तथा कार्डधारक को उपलब्ध कराई गयी उपर्युक्त सुविधा के कारण बैंक द्वारा किसी भी समय उठाए गए, वहन किए गए, बैंक को हुई हानि या बैंक द्वारा कार्डधारक के प्रति अपने अच्छे सम्बन्धों और विश्वास पर कार्डधारक द्वारा दिये गए अनुदेशों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने और विशेष रूप से कार्डधारक की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लापरवाही, गलती या दुर्व्यवहार के चलते खाते से संबन्धित नियम एवं शर्तों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन करने और/ या कार्डधारक या उसके कर्मचारी या एजेंट द्वारा किए गए किसी लेन-देन से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी के संबंध में किसी भी तरह के प्रभार एवं खर्चों की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है.